

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छटाडा जिला बारा (राज)

क्रमांक 16/25

दिनांक 18.09.2025

-- :: निर्णय :: --

प्राणी श्री प्रेमलाल पुत्र/दुई. प्रो. मिश्रीलाल व पत्नी
पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्राण रूपारेल मल्लिक मण्डल भूलोज तहसील छटाडा
जिला बारा की चालू जमाबंदी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 45 में खातेदार, गैरखातेदार का
नाम/जाति प्रेमनारायण पुत्र मिश्रीलाल अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से
प्रेमलाल अंकित किया जावे। प्राणी के आवेदन पत्र की जाच पटवारी भूलोज
से करवाने पर पटवारी ने प्रेमनारायण के बजाय प्रेमलाल
करना उचित बताया। तहसीलदार छटाडा ने भी उचित खाले में
के बजाय प्रेमलाल करना उचित बताया। प्रेमनारायण
अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956
एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत
ग्राम रूपारेल के खाता संख्या 45 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति
प्रेमनारायण के स्थान पर सम्मानजनक रूप से प्रेमलाल दर्ज करने का
आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छटाडा तदनुसार नगरिका रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छटाडा जिला बारा
उपखण्ड अधिकारी
छटाडा (बारा)